

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)

परिपत्र


विषय : नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने हेतु निवारक उपायों के संबंध में।

उपरलिखित विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 16/17.03.2020 का कार्यालय ज्ञापन सं 11013/9/2014-एस्ट. ए III को बोर्ड के दिनांक 17.03.2020 के समसंख्यक परिपत्र के तहत परिपत्रित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-28011/02/2020/एस एस ओ -I सरकारी भवन में आगंतुकों के प्रवेश को विनियमित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं। जिसकी एक प्रति संलग्न है। रेल भवन और प्रगति मैदान कार्यालय में आगंतुकों के प्रवेश का विनियमन करने हेतु इसमें अनुबद्ध अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

सं 2020/जी(एक.)3/मेट./मिस.-कोविड-19
नई दिल्ली, दिनांक : 20/03/2020

संलग्न : यथोक्त


(मनोज कुमार)
निदेशक(जी ए)
रेलवे बोर्ड

रेल भवन एवं प्रगति मैदान कार्यालय में बोर्ड के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।
रेल भवन एवं प्रगति मैदान में बोर्ड कार्यालय के स्वागत अधिकारी।